-

दिनांक	आदेशिका कैलाश बनाम दामोदर 884/2014	आदेश की पालना बाबत रिपोर्ट
17.07.2025	अधिवक्ता वादी श्री धीरज पल्लीवाल। अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री रामदयाल त्रिवेदी, श्री हर्षवर्द्धन शर्मा, श्री महेश अग्रवाल, श्री आलोक गोयल उपस्थित। इस आदेश के द्वारा प्रार्थी कैलाशचंद की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बाबत दस्तावेज इकरारनामा दिनांक 19.07.1990 को प्रदर्श अंकित किये जाने बाबत आपत्ति का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थनापत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रतिवादी सं.1 ने वादी से जिरह के दौरान इकरारनामा दिनांक 19.07.1990 को प्रदर्श करवाना चाहा है, जो इकरारनामा मात्र 10 रूप्ये के एडहेसिव स्टाम्प पर 75 हजार रूपये प्रतिफल के बदले निष्पादित किया गया है, जिसमें इकरारनामा में वर्णित फ्लेट नंबर 304 का कब्जा भी भूस्वामी को कराने का उल्लेख किया गया है। उक्त इकरारनामा पंजीकृत व पूर्ण स्टांपित नहीं होने के कारण साक्ष्य में अग्राह्य है। जिसका विरोध अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादी सं.1 दामोदर ने यह कहकर किया है कि इकरारनामा दिनांक 19.07.1990 वीना पी.दोषी, दामोदर, धन्नालाल जैन के मध्य हुआ है। उक्त इकरारनामा एग्रीमेंट फोर सेल की प्रकृति रखते हुए कोलेट्रल उद्देश्य के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। दौराने बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान ने प्रार्थनापत्र व जवाब प्रार्थनापत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावृत्ति की है तथा प्रतिवादी सं.1 की ओर से न्यायिक नजीर बोंदरसिंह बनाम निहालसिंह एआईआर 2003 एससी 1905 पेश हुई। बहस सुन पत्रावली का अध्ययन एवं संबंधित विधि का परिशीलन किया। जिसके उपरांत न्यायालय के समक्ष यह दृष्टिगत है कि हस्तगत दावा पारिवारिक विभाजन, शाश्वत व्यादेश से संबंधित है, जिसमें वादी पी.ड.1 की जिरह दिनांक 08.07.2025 को प्रतिवादी सं.1 ने गवाह से इकरारनामा दिनांक 19.07.1990 पर प्रदर्श डालते हुए गवाह से उक्त दस्तावेज के संबंध में प्रश्न किया, जिस इकरारनामा के संबंध में आपत्ति वादी की ओर से दस्तावेज के पंजीकृत व पर्याप्त स्टाम्प पर नहीं होने बाबत पेश हुई है। जिसका खंडन अधिवक्ता प्रतिवादी सं.1 के द्वारा यह कहकर किया गया है कि हस्तगत प्रकरण में इकरारनामा दिनांक 19.07.1990 को अनुषंगिक प्रयोजनार्थ प्रयोग में लाये जाने की स्थिति में दस्तावेज का पंजीकृत व पर्याप्त स्टाम्प पर निष्पादित होना आवश्यक नहीं है। उक्तानुसार इकरारनामा को साक्ष्य में ग्राह्य योग्य का निवेदन किया।	

दिनांक	आदेशिका कैलाश बनाम दामोदर 884/2014	आदेश की पालना बाबत रिपोर्ट
	न्यायालय के द्वारा वाद की प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के साथ संलग्न इकरारनामा का समग्र रूप से अवलोकन किये जाने के उपरांत इकरारनामा दिनांक 19.07.1990 के पृष्ठ सं.3 में शर्त सं.2 में संपत्ति अंतरण ~~अधिनियम~~ का उल्लेख करते हुए प्रतिफल की राशि को शर्त् सं.3 व 4 में 75 हजार रूपये होना बताया है। इस प्रकार दस्तावेज की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए दस्तावेज मात्र 10 रूप्ये के नोन एडेसिव स्टाम्प पर प्रस्तुत किया जाना प्रकट हो रहा है। चूंकि उक्त प्रलेख से संपत्ति का अंतरण किये जाने का तथ्य प्रकट हुआ है। इस प्रकार उक्त दस्तावेज को रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है तथा इसी क्रम में प्रतिफल राशि को दृष्टिगत रखते हुए निःसंदेह उक्त इकरारनामा पूर्ण स्टाम्प पर स्टांपित नहीं होने का तथ्य भी उल्लेख हुआ है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी सं.1 का उक्त दस्तावेज को अनुषंगिक प्रयोजनार्थ दावे में प्रयुक्त करने का तर्क रहा है परंतु यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अनुषंगिक प्रयोजनार्थ भी किसी प्रलेख को साक्ष्य के लिए ग्राह्य योग्य होने के लिए पर्याप्त स्टाम्प पर निष्पादित होना आवश्यक है। उक्तानुसार प्रार्थी/वादी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर इकरारनामा दिनांक 19.07.1990 पर प्रदर्श डालने की अनुमति प्रतिवादी सं.1 को नहीं दी जा सकती है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक....19.7.25........ को पेश हो। अपर जिला न्यायाधीश सं. 2 गंगापुर सिटी, जिला-सवाई माधोपुर (राज.)	